रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 1987/आषाढ़ 16, 1909
No. 347] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 1987/ASADHA 16, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और बीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1987

अधिसूचनाएं

सं० 270/87-सीमाशुल्क

का० आ० 677(अ) :—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवा राज्य के उत्तरी गोवा जिले में बारदेज तालुक में सिरसायम ग्राम को भाण्डागार स्टेशन घोषित करता है।

[फा० सं० 474/17/86-सीम शुल्क-VII]

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 7th July, 1987

NOTIFICATION

No. 270/87-CUSTOMS

S.O. 677(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Sirsaim in Taluka Bardez in North Goa District in the State of Goa to be a warehousing station.

[F. No. 474/17/86-CUS.VII]

सं० 271/87-सीमाशुल्क

का० आ० 678(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 226/81-सीमाशुल्क, तारीख 17 अक्तूबर 1985 को अधिक्रान्त करते हुए किसी निर्यात माल के लदान के प्रयोजन के लिए हैदराबाद विमानपत्तन को सीमाशुल्क पत्तन के रूप में नियुक्त करती है।

[फा० सं० 481/6/86-सीम शुल्क, VII]

No. 271/87-CUSTOMS

S.O. 678(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 226/81-Customs, dated the 17th October, 1981, the Central Government hereby appoints the Hyderabad airport as the customs airport for the purpose of loading of any export goods.

[F. No. 481/6/86-CUS. VII]

सं० 272/87-सीमाशुल्क

का० आ० 679(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयानों, के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित आयातित वायुयान पुर्जों, उपसाधनों और सामग्रियों के उतराई के लिए हैदराबाद वायु पत्तन को सीमाशुल्क वायुपत्तन घोषित करती है।

[फा. सं. 481/6/86 सीमाशुल्क-VII]
एन. मायकल, अवर सचिव

No. 272|87-CUSTOMS

S.O. 679(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints the Hyderabad airport as the customs airport for the unloading of imported aircraft parts, accessories and materials required for the maintenance of aircrafts.

[F. No. 481|6|86-CUS. VII]

M. MICHAEL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987